भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †346

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2024

उद्यमियों को उद्यम पूंजी कोष

†346. श्री एस. मुनिस्वामीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा सृजित उद्यम पूंजी कोष योजना का लाभ उठाने वाले इच्छुक उद्यमियों को निधियां आवंटित/वितरित की हैं;

(ख) क्या सामाजिक दायित्वों और कारकों को नवोन्मेषी तरीके से शामिल करने वाले रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट नवोन्मेषी उद्यमों के दायरे में माना जाता है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत ऋण की न्यूनतम सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ विशेष मामले योजना के सभी मानदंडों को पूरा करने वाले योग्य उद्यमियों के लिए अधिकतम सीमा में छूट का कोई प्रावधान है;

(ङ) इस योजना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) जो प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए योजना की नोडल एंजेंसी है, इस योजना के मामलों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत है; और

(च) यदि योजना आरंभ हो चुकी है तो पात्र/चुने गए उद्यमियों/संगठनों की सूची क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): सरकार ने उद्यमिता और नवोन्मेष/नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने हेतु अजजा समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 50.00 करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुसूचित जनजातियों (वीसीएफ-एसटी) के लिए उद्यम पूंजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड) की एक योजना को मंजूरी दे दी है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (आईएफसीआई वीसीएफ लिमिटेड) इस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा गतिविधि की प्रकृति का विचार किए बिना 5.00 करोड़ रुपये है।

*****